सतत विकास लक्ष्य

१७ लक्ष्य हमारी दुनिया को बदलने के लिए

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

सतत विकास लक्ष्य

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) वर्ष २०३० तक, गरीबी के सभी आयामों को समाप्त करने के लिए, एक साहसिक और सार्वभौमिक समझौता है जो सबके लिए एक समान, न्यायपूर्ण और सुरक्षित विश्व की सृष्टि करेगा - व्यक्तियों, पृथ्वी और समृद्धि के लिए।

१७ एसडीजी और १६९ लक्ष्य, एक भाग हैं, *हमारी दुनिया को बदलने के लिये: सतत विकास के लिए एजेंडा २०३०* का, जो सितंबर २०१५ में संयुक्त राष्ट्र महासभा के ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में १९३ सदस्य राष्ट्रों द्वारा अपनाया गया, और १ जनवरी २०१६ को प्रभाव में आया था ।

एसडीजी एक अभूतपूर्व परामर्श प्रक्रिया से विकसित किये गये हैं, जिसपर विचार-विमर्श करने के लिए और इस महत्वाकांक्षी एजेंडा को अपनाने के लिए राष्ट्रीय सरकारें और दुनिया भर के लाखों नागरिक एकजुट हुए थे।

5Ps OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

सतत विकास लक्ष्य

१ सब जगह गरीबी का इसके सभी रूपों में अंत करना।

२ भुखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना तथा सतत कृषि को बढ़ावा देना।

३ स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना।

४ समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन शिक्षा-प्राप्ति के अवसरों को बढ़ावा देना।

५ लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और बालिकाओं का सशक्तिकरण करना।

६ सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना।

७ सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद, सतत और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

८ सभी के लिए सतत, समावेशी और संधारणीय आर्थिक विकास, पूर्ण और लाभकारी रोजगार और उचित कार्य को बढ़ावा देना।

९ समुत्थानशील अवसंरचना का निर्माण करना, समावेशी और संधारणीय औद्योगीकरण को बढ़ावा देना और नवोन्मेष को प्रोत्साहित करना।

१० राष्ट्रों के अंदर और उनके बीच असमानता को कम करना।

११ शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, समुत्थानशील और संधारणीय बनाना।

१२ सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना।

१३ जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए तात्कालिक कार्रवाई करना।

१४ सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्रीय संसाधनों का संरक्षण करना और इनका संधारणीय तरीके से उपयोग करना।

१५ स्थलीय पारिस्थिकी-तंत्रों का संरक्षण और पुनरुद्धार करना और इनके सतत उपयोग को बढ़ावा देना, वनों का सतत तरीके से प्रबंधन करना, मरुस्थल-रोधी उपाय करना, भूमि अवक्रमण को रोकना और प्रतिवर्तित करना और जैव-विविधता की हानि को रोकना।

१६ सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी सोसाइटियों को बढ़ावा देना, सभी को न्याय उपलब्ध कराना तथा सभी स्तरों पर कारगर, जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना।

१७ कार्यान्वयन के उपायों का सुदृढ़ीकरण करना और सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी का पुनरुद्धार करना।

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

1 End poverty in all its forms everywhere

2 End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture

3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

4 Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all

5 Achieve gender equality and empower all women and girls

6 Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all

7 Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all

8 Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all

9 Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation

10 Reduce inequality within and among countries

11 Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable

12 Ensure sustainable consumption and production patterns

13 Take urgent action to combat climate change and its impacts

14 Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development

15 Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss

16 Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels

17 Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development

1

सब जगह गरीबी का इसके सभी रूपों में अंत करना।

1.1 २०३० तक सब जगह सभी लोगों की अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना जो वर्तमान में १.२५ डालर प्रतिदिन से कम पर जीवनयापन करने वाले लोगों के रूप में आंकी गई है।

1.2 २०३० तक गरीबी के सभी आयामों में जीवनयापन कर रहे सभी उम्र के पुरूषों, महिलाओं और बच्चों की संख्या, जो राष्ट्रीय परिभाषाओं के अनुसार है, को आधा करना।

1.3 राष्ट्रीय रूप से उपयुक्त सामाजिक संरक्षण प्रणाली और उपायों को सभी वर्गों के लिए कार्यान्वित करना और २०३० तक गरीब और कमजोर वर्गों को इसके अंतर्गत शामिल करना।

1.4 २०३० तक यह सुनिश्चित करना कि सभी पुरुष और महिलाओं विशेष रूप से गरीब और कमजोर को आर्थिक संसाधनों के समान अधिकारों के साथ-साथ मूलभूत सेवाएं, भूमि तथा सम्पत्ति के अन्य रूपों, विरासत, प्राकृतिक संसाधन, उपयुक्त नई प्रौद्योगिकी और माइक्रोफाइनांस सहित वित्तीय सेवाओं का स्वामित्व और नियंत्रण प्राप्त हो।

1.5 २०३० तक गरीब और कमजोर स्थिति के लोगों को कठिनाइयों से उबारना और जलवायु संबंधी चरम घटनाओं तथा अन्य आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणिक झटकों और आपदाओं के उन पर पड़ने वाले प्रभाव तथा जोखिम को कम करना।

1.क विकासशील देशों, विशेष रूप से अल्प विकसित देशों में कार्यक्रमों और नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त और पूर्वानुमानित साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्धित विकास सहयोग द्वारा विभिन्न प्रकार के स्रोतों से संसाधनों का संचलन करके गरीबी के सभी आयामों को समाप्त करने की सार्थकता सुनिश्चित करना।

1.ख गरीबी उन्मूलन कार्यों में वर्धित निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए गरीब समर्थित तथा स्त्री-पुरूष संवेदी विकास रणनीतियों पर आधारित राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर सुदृढ़ नीतिगत ढांचा तैयार करना।

2

भुखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना तथा सतत कृषि को बढ़ावा देना।

2.1 २०३० तक भुखमरी समाप्त करना और सभी लोगों, विशेष रूप से गरीब और दयनीय स्थितियों में रह रहे लोगों और शिशुओं को वर्षभर सुरक्षित, पोषक और पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना।

2.2 २०३० तक कुपोषण के सभी रूपों को समाप्त करने सहित पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की कमजोरी और विकास को अवरुद्ध करने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय रूप से सहमत लक्ष्यों को २०२५ तक प्राप्त करना और किशोरियों, गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं और वृद्धों की पोषण आवश्यकताओं को पूरा करना।

2.3 २०३० तक, मूल्य वर्धित और गैर कृषि रोजगार के लिए भूमि, अन्य उत्पादक संसाधनों और आदानों, जानकारी, वित्तीय सेवाएं, बाजार और अवसरों के सुरक्षित और समान अवसरों के माध्यम से लघु उद्योग खाद्य उत्पादकों विशेष रूप से महिलाओं, स्वदेशी लोगों, किसान परिवारों, चरवाहों तथा मछुआरों की कृषि उत्पादकता और आय को दोगुना करना।

2.4 २०३० तक सतत खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित करना और लचीली कृषि पद्धति को कार्यान्वित करना जो उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि करे जिससे परिस्थितिकी तंत्र बना रहे ताकि मौसम परिवर्तन, प्रतिकूल वातावरण, सूखा, बाढ़ और अन्य आपदाओं को

सहन करने में सक्षम हो और इससे भूमि और मृदा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

2.5 २०३० तक, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर सुदृढ़ प्रबंधन और विविध बीज और पौध बैंकों के जरिए बीज, उगाए गए पौधों और खेती तथा घरेलू जानवरों और उनसे संबंधित जंगली प्रजातियों की रक्षा हो सके तथा अन्तर्राष्ट्रीय रूप से सहमत आनुवांशिक संसाधनों और संबंधित पारम्परिक जानकारी के उपयोग से प्राप्त लोगों को निष्पक्ष और समान रूप से उन तक पहुँचाना सुनिश्चित करना।

2क. विकासशील देशों विशेष रूप से न्यून विकसित देशों में कृषि उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए वर्धित अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग सहित ग्रामीण अवसंरचना, कृषि अनुसंधान और विस्तार सेवाओं, प्रौद्योगिकी विकास तथा पौध और पशुधन जीन बैंकों में निवेश बढ़ाना।

2ख. दोहा विकास कार्यसूची के अधिदेश के अनुसार कृषि निर्यात आर्थिक सहायता के सभी रूपों और सभी निर्यात उपायों के समान प्रभाव के समानांतर विलोपन से विश्व कृषि बाजार में सही और नियंत्रित व्यापार प्रतिबंध और विरूपण।

2ग. खाद्य वस्तु बाजारों और उनके व्युत्पन्नों का उचित कार्यकरण सुनिश्चित करने तथा खाद्य भंडारों सहित बाजार सूचना की समय पर उपलब्धता को सुसाध्य बनाने हेतु उपायों को अपनाना ताकि खाद्य कीमतों में तीव्र उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने में सहायता की जा सके।

3

स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना।

3.1 २०३० तक, वैश्विक मातृ मृत्यु दर को ७० प्रति १००,००० जीवित जन्म से कम करना।

3.2 २०३० तक नवजात और ५ वर्ष से कम आयु के बच्चों की निवारक मृत्यु की रोकथाम।

3.3 २०३० तक, एड्स, क्षय रोग, मलेरिया और उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोगों की महामारी को रोकना और हेपाटाइटिस, जल जनित रोगों और अन्य संचारी रोगों का मुकाबला करना।

3.4 २०३० तक रोकथाम और उपचार के जरिए असंचारी रोगों से होने वाली अपरिपक्व मृत्यु दर में एक तिहाई की कमी करना और मानसिक स्वास्थ्य तथा सलामती को प्रोत्साहित करना।

3.5 मादक औषधियों के दुरूपयोग और मदिरा के हानिकारक उपयोग सहित पदार्थों के दुरूपयोग की रोकथाम और उपचार को सुदृढ़ करना।

3.6 २०२० तक, सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली वैश्विक मृत्यु और आघात की संख्या को आधा करना।

3.7 २०३० तक परिवार नियोजन सहित यौन और प्रजनन स्वास्थ्य-देखभाल सेवा, सूचना और शिक्षा तक सबकी पहुँच सुनिश्चित करना तथा राष्ट्रीय रणनीतियों एवं कार्यक्रमों में प्रजनन स्वास्थ्य को शामिल करना।

3.8 वित्तीय जोखिम सुरक्षा सहित सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता तक पहुँच और सभी के लिए सुरक्षित, गुणवत्तात्मक और सस्ती दवाईयाँ और टीके उपलब्ध कराना।

3.9 २०३० तक खतरनाक रसायनों और वायु, जल तथा मृदा प्रदूषण और संदूषण से होने वाली मौतों एवं बीमारियों की संख्या को काफी हद तक कम करना।

3 क. सभी देशों में यथा उपयुक्त तम्बाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन फ्रेमवर्म कन्वेंशन के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करना।

3 ख. विकासशील देशों को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले संचारी और असंचारी रोगों के टीके और दवाईयों संबंधी अनुसंधान और विकास को सहायता तथा टीआरआईपीएस समझौतों और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी दोहा घोषणा के अनुसार सस्ती आवश्यक दवाईयाँ और टीके उपलब्ध कराना जिससे विकासशील देशों को सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा विशेष रूप से सभी के लिए दवाईयाँ उपलब्ध कराने के लचीलेपन से संबंधित बौद्धिक सम्पदा अधिकार के व्यापार संबंधित पहलुओं के समझौते के प्रावधानों का पूर्णतः उपयोग हो सकेगा।

3 ग. विकासशील देशों विशेष रूप से न्यून विकसित देशों और छोटे द्वीप वाले विकासशील राज्यों में स्वास्थ्य संबंधी वित्तपोषण में प्रचुर वृद्धि करना और स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती, उनका विकास, प्रशिक्षण और उन्हें बनाए रखना।

3 घ. राष्ट्रीय और वैश्विक स्वास्थ्य जोखिम की पूर्व चेतावनी, जोखिम में कमी और प्रबंधन के लिए सभी देशों, विशेष रूप से विकासशील देशों की क्षमता को सुदृढ़ करना।

4

समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन शिक्षा-प्राप्ति के अवसरों को बढ़ावा देना।

4.1 २०३० तक, यह सुनिश्चित करना कि सभी लड़कियों और लड़कों द्वारा निःशुल्क, साम्यिक और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पूरी की जाए ताकि शिक्षा-प्राप्ति के सुसंगत और कारगर परिणाम प्राप्त हों।

4.2 २०३० तक, यह सुनिश्चित करना कि सभी लड़कियों और लड़कों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यकाल विकास, देखरेख और प्राथमिक-पूर्व शिक्षा सुलभ हो ताकि वे प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार हो जाएं।

4.3 २०३० तक, सभी महिलाओं और पुरूषों के लिए विश्वविद्यालय सहित किफायती और गुणवत्तापूर्ण तकनीकी, व्यावसायिक और तृतीयक शिक्षा की समान रूप से सुलभता सुनिश्चित करना।

4.4 २०३० तक, रोजगार, उचित कार्यों और उद्यमिता हेतु तकनीकी और व्यावसायिक कौशलों सहित सुसंगत कौशल से सम्पन्न युवाओं और वयस्कों की संख्या में वृद्धि करना।

4.5 २०३० तक, शिक्षा में लैंगिक असमानताओं को समाप्त करना तथा निःशक्त व्यक्तियों, देशी लोगों और असुरक्षित परिस्थितियों में रह रहे बच्चों सहित कमजोर लोगों की, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के सभी स्तरों तक समान रूप से पहुंच सुनिश्चित करना।

4.6 २०३० तक, यह सुनिश्चित करना कि सभी युवाओं तथा पुरूषों और महिलाओं सहित अधिकतर वयस्कों द्वारा साक्षरता और संख्या ज्ञान हासिल कर लिया जाए।

4.7 २०३० तक, यह सुनिश्चित करना कि सभी शिक्षार्थियों द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, संधारणीय विकास और संधारणीय जीवनशैली, मानवाधिकार, लैंगिक समानता, शांति और अहिंसा की संस्कृति को प्रोत्साहन, वैश्विक नागरिकता तथा सांस्कृतिक विविधता और संधारणीय विकास में संस्कृति के योगदान की कद्र करने के संबंध में शिक्षा के माध्यम से संधारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल अर्जित कर लिया जाए।

4.क ऐसी शैक्षिक सुविधाओं का निर्माण और स्तरोन्नयन करना जो बच्चों, निःशक्तता और स्त्री-पुरूष समानता के प्रति संवेदनशील हों और सभी के लिए शिक्षा-प्राप्ति के सुरक्षित, अहिंसात्मक, समावेशी और कारगर परिवेश उपलब्ध कराती हों।

4.ख २०२० तक, विकसित देशों तथा अन्य विकासशील देशों में व्यावसायिक प्रशिक्षण और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तकनीकी, इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक कार्यक्रमों सहित उच्चतर शिक्षा में नामांकन के लिए विकासशील देशों, विशेषकर अल्प विकसित देशों, लघु द्वीप विकासशील राज्यों और अफ्रीकी देशों के लिए उपलब्ध छात्रवृत्तियों की संख्या में वैश्विक स्तर पर वृद्धि करना।

4.ग २०३० तक, विकासशील देशों, विशेषकर अल्प विकसित देशों और लघु द्वीप विकासशील राज्यों में, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अर्हता-प्राप्त शिक्षकों की आपूर्ति में वृद्धि करना।

5

लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और बालिकाओं का सशक्तिकरण करना।

5.1 सभी जगह सभी महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभावों का अंत करना।

5.2 सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सभी महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध सभी प्रकार की हिंसा का अंत करना जिसमें ट्रैफिकिंग और यौन तथा अन्य प्रकार के शोषण भी शामिल हैं।

5.3 सभी हानिकारक प्रथाओं जैसे कि बाल, समय-पूर्व और जबरदस्ती विवाह और महिला जननांग विकृति का अंत करना।

5.4 जन-सेवाओं, अवसंरचना और सामाजिक सुरक्षा नीतियों के प्रावधान के माध्यम से अदत्त देखभाल और घरेलू कार्य का सम्मान और कद्र करना तथा गृहस्थी और परिवार में साझे उत्तरदायित्व को राष्ट्रीय स्तर पर उचित रूप से बढ़ावा देना।

5.5 राजनैतिक, आर्थिक और लोक-जीवन में निर्णय लेने के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए नेतृत्व के समान अवसर तक पूर्ण और कारगर सहभागिता सुनिश्चित करना।

5.6 जनसंख्या और विकास संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के कार्रवाई के कार्यक्रम और बीजिंग कार्रवाई प्लैटफॉर्म तथा उनके समीक्षा सम्मेलनों के परिणाम दस्तावेजों के अनुसार यथा-सम्मत यौन और प्रजनक स्वास्थ्य एवं प्रजनक अधिकारों तक सर्वव्यापक पहुंच सुनिश्चित करना।

5.क महिलाओं को, राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार, भूमि और अन्य प्रकार की सम्पत्ति, वित्तीय सेवाओं, विरासत तथा प्राकृतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की सुलभता के साथ-साथ आर्थिक संसाधनों के संबंध में समान अधिकार प्रदान करने हेतु सुधार करना।

5.ख महिलाओं के सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए समर्थकारी प्रौद्योगिकी विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाना।

5.ग लैंगिक समानता को बढ़ावा देने तथा सभी स्तरों पर महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तीकरण के लिए सुदृढ़ नीतियों और प्रवर्तनीय विधान को अपनाना और उनका सुदृढ़ीकरण करना।

6

सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना।

6.1 २०३० तक, सभी के लिए सुरक्षित और किफायती पेयजल की सर्वव्यापक और न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित करना।

6.2 २०३० तक, महिलाओं और बालिकाओं तथा असुरक्षित परिस्थितियों में रह रहे लोगों की जरूरतों की ओर विशेष ध्यान देते हुए सभी के लिए पर्याप्त और न्यायसंगत स्वच्छता और स्वास्थ्यकारिता की पहुंच सुनिश्चित करना और खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करना।

6.3 २०३० तक, प्रदूषण में कमी, कूड़े का ढेर लगाने की प्रथा के उन्मूलन और खतरनाक रसायनों और सामग्री के प्रवाह को न्यूनतम करके, अनुपचारित अपशिष्ट-जल के अनुपात को आधा करके जल गुणवत्ता को सुधारना तथा वैश्विक स्तर पर जल की रिसाइक्लिंग और सुरक्षित पुनः-उपयोग में वृद्धि करना।

6.4 २०३० तक, सभी क्षेत्रकों में जल उपयोग कुशलता में पर्याप्त वृद्धि करना तथा जलाभाव का समाधान करने के लिए मीठे जल की संधारणीय निकासी और आपूर्ति सुनिश्चित करना और जलाभाव से पीड़ित लोगों की संख्या में पर्याप्त कमी लाना।

6.5 २०३० तक, सभी स्तरों पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन लागू करना जिसमें यथोचित सीमा-पार सहयोग भी शामिल है।

6.6 २०२० तक पर्वतों, वनों, आर्द्र-भूमि, नदियों, जलदायी स्तरों और झीलों सहित जल संबंधी पारितंत्रों का संरक्षण और पुनरुद्धार करना।

6.क २०३० तक , विकासशील देशों के लिए जल संचयन, अलवणीकरण, जल कुशलता, अपशिष्ट-जल उपचार, रिसाइक्लिंग और पुनः-उपयोग प्रौद्योगिकियों सहित जल और स्वच्छता संबंधी कार्यकलापों और कार्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता-निर्माण सहायता का विस्तार करना।

6.ख जल और स्वच्छता प्रबंधन में सुधार करने हेतु स्थानीय समुदायों की सहभागिता का समर्थन और सुदृढ़ीकरण करना।

7

सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद, सतत और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

7.1 २०३० तक, सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद और आधुनिक ऊर्जा सेवाएं सुनिश्चित करना।

7.2 २०३० तक, वैश्विक ऊर्जा उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा के हिस्से में पर्याप्त वृद्धि करना।

7.3 २०३० तक, ऊर्जा दक्षता की वैश्विक सुधार दर को दुगुना करना।

7.क २०३० तक, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता तथा उन्नत और अधिक स्वच्छ जीवाश्म-इंधन प्रौद्योगिकी सहित स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी तक पहुंच को सुसाध्य बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना तथा ऊर्जा अवसंरचना और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देना।

7.ख २०३० तक, विकासशील देशों, विशेषकर अल्प विकसित देशों और लघु द्वीप विकासशील राज्यों में सभी के लिए आधुनिक और संधारणीय ऊर्जा सेवाओं की आपूर्ति हेतु अवसंरचना का विस्तार करना और प्रौद्योगिकी का स्तरोन्नयन करना।

8

सभी के लिए सतत, समावेशी और संधारणीय आर्थिक विकास, पूर्ण और लाभकारी रोजगार और उचित कार्य को बढ़ावा देना।

8.1 राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार प्रति व्यक्ति आर्थिक वृद्धि दर और विशेषकर अल्प विकसित देशों में प्रतिवर्ष कम-से-कम ७ प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर बनाए रखना।

8.2 उच्च मूल्यवर्धन और श्रम-बहुल क्षेत्रकों पर ध्यान केंद्रित करने सहित विविधीकरण, प्रौद्योगिकीय उन्नयन और नवोन्मेष के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता के उच्चतर स्तरों को हासिल करना।

8.3 उत्पादक कार्यकलापों, उचित रोजगार सृजन, उद्यमिता, सर्जनात्मकता और नवोन्मेष का समर्थन करने वाली विकासोन्मुखी नीतियों को बढ़ावा देना और वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को निश्चित रूप देना और इनके विकास को प्रोत्साहित करना।

8.4 विकसित देशों की पहल के साथ, संधारणीय उपभोग और उत्पादन संबंधी कार्यक्रमों की १० वर्षीय रूपरेखा के अनुसार, आर्थिक विकास को पर्यावरणीय अवक्रमण से अलग करने का प्रयास करना तथा संसाधनों के उपभोग और उत्पादन में वैश्विक कुशलता में २०३० तक क्रमिक रूप से सुधार लाना।

8.5 २०३० तक, युवाओं और निःशक्त व्यक्तियों सहित सभी महिलाओं और पुरूषों के लिए पूर्ण और लाभकारी रोजगार और उचित कार्य की उपलब्धता तथा समान मूल्य के कार्य के लिए समान भुगतान सुनिश्चित करना।

8.6 २०२० तक, रोजगार, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण से वंचित युवाओं के अनुपात को पर्याप्त रूप से कम करना।

8.7 बेगार का उन्मूलन करने और सबसे खराब प्रकार के बाल-श्रम का निषेध और उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए तात्कालिक और कारगर उपाय करना और २०२५ तक बाल सैनिकों की भर्ती और उपयोग सहित सभी प्रकार के बाल-श्रम का अंत करना।

8.8 प्रवासी कामगारों और विशेष रूप से महिला प्रवासी कामगारों तथा अनिश्चित रोजगारों में कार्यरत कामगारों सहित सभी कामगारों के लिए सुरक्षित कार्य परिवेश को बढ़ावा देना और श्रमिक अधिकारों की रक्षा करना।

8.9 २०३० तक, रोजगारों का सृजन करने वाले तथा स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को बढ़ावा देने वाले संधारणीय पर्यटन को बढ़ावा देने की नीतियां तैयार करना और उन्हें लागू करना।

8.10 सभी के लिए बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाओं की पहुंच को प्रोत्साहित और विस्तारित करने हेतु घरेलू वित्तीय संस्थाओं की आईसीडीएस क्षमता का सुदृढ़ीकरण करना।

8.क विकासशील देशों विशेष रूप से अल्प विकसित देशों के लिए व्यापार समर्थन हेतु सहायता में वृद्धि करना जिसमें अल्प विकसित देशों के

लिए व्यापार संबंधी तकनीकी सहायता हेतु वर्धित एकीकृत फ्रेमवर्क के माध्यम से सहायता भी शामिल है।

8.ख २०२० तक, युवाओं के नियोजन के लिए वैश्विक कार्यनीति तैयार करना और उसे लागू करना तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वैश्विक रोजगार समझौते को कार्यान्वित करना।

9

समुत्थानशील अवसंरचना का निर्माण करना, समावेशी और संधारणीय औद्योगीकरण को बढ़ावा देना और नवोन्मेष को प्रोत्साहित करना।

9.1 सभी के लिए किफायती और न्यायसंगत पहुंच पर ध्यान केंद्रित करते हुए आर्थिक विकास और मानव कल्याण हेतु सहायता प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय और सीमा-पार अवसंरचना सहित गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, संधारणीय और समुत्थानशील अवसंरचना का विकास करना।

9.2 समावेशी और संधारणीय औद्योगीकरण को बढ़ावा देना और २०३० तक, राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार, रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग की हिस्सेदारी में पर्याप्त वृद्धि करना और अल्प विकसित देशों में इसकी हिस्सेदारी को दुगुना करना।

9.3 विशेष रूप से विकासशील देशों में, लघु उद्योगों तथा अन्य उद्यमों के लिए किफायती ऋण सहित वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता तथा मूल्य श्रृंखलाओं और बाजारों में उनके एकीकरण में वृद्धि करना।

9.4 २०३० तक, सभी देशों द्वारा अपनी-अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्रवाई करते हुए, वर्धित संसाधन-उपयोग कुशलता तथा स्वच्छ और पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकियों एवं औद्योगिक प्रक्रियाओं के और अधिक अंगीकरण के साथ, उद्योगों को संधारणीय बनाने के लिए उन्हें रेट्रोफिट करना और अवसंरचना का स्तरोन्नयन करना।

9.5 २०३० तक, नवोन्मेष को प्रोत्साहित करके और प्रति १ मिलियन लोगों में अनुसंधान और विकास कामगारों की संख्या को बढ़ाकर

तथा सार्वजनिक और निजी अनुसंधान और विकास पर व्यय को बढ़ाकर, सभी देशों में विशेषकर विकासशील देशों में, वैज्ञानिक अनुसंधान में वृद्धि करना और औद्योगिक क्षेत्रकों की प्रौद्योगिकीय क्षमताओं का स्तरोन्नयन करना।

9.क अफ्रीकी देशों, अल्प विकसित देशों, स्थल-रुद्ध विकासशील देशों और लघु द्वीप विकासशील राज्यों को वर्धित वित्तीय, प्रौद्योगिकीय और तकनीकी सहायता के माध्यम से विकासशील देशों में संधारणीय और समुत्थानशील अवसंरचना विकास को सुसाध्य बनाना।

9.ख अन्य के साथ-साथ, औद्योगिक विविधीकरण और वस्तुओं के मूल्यवर्धन के लिए अनुकूल नीतिगत परिवेश सुनिश्चित करने के माध्यम से विकासशील देशों में घरेलू प्रौद्योगिकी विकास, अनुसंधान और नवोन्मेष के लिए सहायता प्रदान करना।

9.ग अल्प विकसित देशों में २०२० तक, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की पहुंच में पर्याप्त वृद्धि करना तथा इंटरनेट की सर्वव्यापक और किफायती उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास करना।

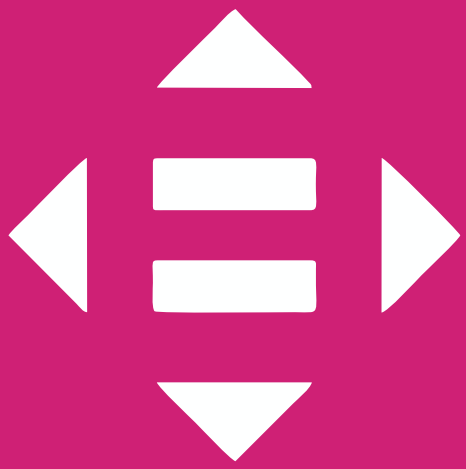

10

राष्ट्रों के अंदर और उनके बीच असमानता को कम करना।

10.1 २०३० तक,आबादी के सबसे निचले ४० प्रतिशत लोगों की आय को राष्ट्रीय औसत से अधिक दर से बढ़ाना तथा उसे बनाए रखना।

10.2 २०३० तक,हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से सशक्त करना और बढ़ावा देना, चाहे वे किसी भी उम्र, लिंग, अशक्तता, प्रजाति, मूल, धर्म अथवा आर्थिक या अन्य स्थिति के हों।

10.3 समान अवसर सुनिश्चित करना तथा आय की असमानता को कम करना जिसके लिए भेदभावपरक कानूनों, नीतियों और व्यवहारों को समाप्त करना और इस संबंध में उपयुक्त विधान, नीतियों और कार्रवाई को प्रोत्साहित करना।

10.4 खासकर मौद्रिक, वेतन तथा सामाजिक संरक्षण नीतियों को अंगीकृत करना और क्रमशः उच्चतर समानता प्राप्त करना।

10.5 वैश्विक वित्तीय बाज़ारों और संस्थानों के विनियमन तथा अनुवीक्षण को बेहतर बनाना और ऐसे विनियमनों के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करना।

10.6 वैश्विक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक तथा वित्तीय संस्थानों में निर्णयकारी प्रक्रिया में विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व तथा स्वर सुनिश्चित करना ताकि संस्थानों को अधिक प्रभावी, विश्वसनीय, उत्तरदायी तथा विधायी बनाया जा सके।

10.7 लोगों का व्यवस्थित, सुरक्षित, नियमित तथा उत्तरदायी प्रवास और गतिशीलता को सुगम बनाना जिसमें सुनियोजित तथा सुप्रबंधित प्रवास नीतियां शामिल हैं।

10.क विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार, विकासशील देशों और ख़ासकर सबसे कम विकसित देशों के लिए विशेष और अलग व्यवहार के सिद्धांत का कार्यान्वयन।

10.ख खासकर सबसे कम विकसित देशों,अफ्रीकी देशों, छोटे द्वीपों, विकासशील राज्यों तथा ज़मीन से घिरे विकासशील देशों के ऐसे राज्यों के लिए, उनकी राष्ट्रीय योजनाओं तथा कार्यक्रमों के अनुरूप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित राजकीय विकास सहायता तथा वित्तीय प्रवाह को प्रोत्साहित करना जिनकी आवश्यकताएं सर्वाधिक हैं।

10.ग २०३० तक,प्रवासियों के लेनदेन लागत को घटाकर ३ प्रतिशत से कम करना तथा ५ प्रतिशत से अधिक लागत वाली जमा व्यवस्थाओं को समाप्त करना।

11

शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, समुत्थानशील और संधारणीय बनाना।

11.1 २०३० तक,सबके लिए पर्याप्त, सुरक्षित तथा सस्ते मकान और बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा झुग्गी बस्तियों का विकास।

11.2 २०३० तक, सबके लिए सुरक्षित,सस्ती तथा सुलभ और संधारणीय परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराना ताकि सड़क सुरक्षा बढ़े और सार्वजनिक परिवहन का विस्तार हो तथा कमज़ोर तबके, महिलाओं, बच्चों, अशक्तों और वृद्धों की ज़रूरतों पर विशेष ध्यान दिया जा सके।

11.3 २०३० तक, समावेशी तथा संधारणीय और शहरीकरण तथा क्षमता की वृद्धि ताकि सभी देशों में सहभागितापूर्ण,एकीकृत और संधारणीय मानव पुनर्वास आयोजना व प्रबंधन हो सके।

11.4 विश्व के सांस्कृतिक और प्राकृतिक दायों की संरक्षा और सुरक्षा के प्रयासों का सुदृढ़ीकरण।

11.5 २०३० तक, मौतों की संख्या को काफी कम करना तथा जल आपदाओं सहित अन्य आपदाओं के कारण सकल घरेलू उत्पाद को होने वाले आर्थिक नुक़सान से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या में कमी करना जिसमें कमज़ोर परिस्थितियों में रह रहे गरीबों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया हो।

11.6 २०३० तक, नगरों के प्रति व्यक्ति पर्यावरणीय दुष्प्रभाव को घटाना जिसमें वायु की गुणवत्ता और नगरपालिका तथा अन्य अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना शामिल है।

11.7 २०३० तक,खासकर महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और अशक्तों के लिए सुरक्षित,समावेशी और सुगम, हरित तथा सार्वजनिक स्थान उपलब्ध कराना।

11.क शहरी, अर्ध-शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बीच सकारात्मक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लिंक को सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास आयोजना का सशक्तिकरण।

11.ख २०२० तक, नगरों तथा मानव बस्तियों की संख्या में वृद्धि के लिए एकीकृत नीतियों और समावेशन, संसाधन दक्षता, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण और अनुकूलन हेतु योजनाओं का अंगीकरण और कार्यान्वयन जो सभी स्तरों पर आगामी ह्योगो फ्रेमवर्क समग्र आपदा जोखिम प्रबंधन के अनुरूप हो।

11.ग स्थानीय सामग्रियों का उपयोग कर संधारणीय और मज़बूत भवनों के निर्माण में, सबसे कम विकसित देशों को समर्थन जिनमें वित्तीय तथा तकनीकी सहायता शामिल है।

12

सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना।

12.1 संधारणीय उपभोग तथा उत्पादन संबंधी कार्यक्रम के १० वर्षीय फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन जिसके लिए सभी देश कार्रवाई करें तथा विकासशील देश इसका नेतृत्व करें जिसके लिए विकासशील देशों के विकास और क्षमताओं को ध्यान में रखा जाए।

12.2 २०३० तक, प्राकृतिक संसाधनों का संधारणीय प्रबंधन तथा प्रभावी उपयोग हासिल करना।

12.3 २०३० तक, खुदरा तथा उपभोक्ता स्तरों पर प्रति व्यक्ति वैश्विक खाद्य अपशिष्ट को आधा करना तथा उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला के दौरान आहार को होने वाले नुक़सान को कम करना जिसमें फसल कटाई के बाद होने वाला नुक़सान भी शामिल है।

12.4 २०३० तक, रसायनों तथा सभी अपशिष्टों का उनके पूरे जीवनचक्र के दौरान पर्यावरणीय रूप से ठोस प्रबंधन हासिल करना जो सहमति वाले अंतरराष्ट्रीय फ्रेमवर्क के अनुरूप हो तथा हवा,पानी और मिट्टी में उनके मिलने की संभावना को कम करना ताकि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उसके दुष्प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके।

12.5 २०३० तक, अपशिष्ट सृजन में रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण तथा पुनरोपयोग द्वारा खासी कमी लाना।

12.6 कम्पनियों और ख़ासकर बड़ी और पराराष्ट्रीय कम्पनियों के संधारणीय व्यवहार को अंगीकृत करने तथा संधारणीय सूचना को उनकी रिपोर्टिंग साइकिल में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना।

12.7 सार्वजनिक खरीदारी व्यवहारों को बढ़ावा देना जो संधारणीय और राष्ट्रीय नीतियों तथा प्राथमिकताओं के अनुरूप हो।

12.8 २०३० तक, यह सुनिश्चित करना कि सभी जगहों पर लोगों के लिए ऐसे संधारणीय विकास और जीवनशैली संबंधी संगत सूचना और जागरूकता बनी रहे जो प्रकृति के अनुरूप हो।

12.क विकासशील देशों को सहायता प्रदान करना ताकि वे अधिक संधारणीय उपभोग और उत्पादन पद्धतियों को अपनाने के लिए अपनी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय क्षमता को सुदृढ़ कर सकें।

12.ख संधारणीय पर्यटन के लिए संधारणीय विकास प्रभावों के अनुवीक्षण संबंधी टूल का विकास तथा कार्यान्वयन करना जिससे रोज़गार के अवसर सृजित हों तथा स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को बढ़ावा मिले

12.ग कराधान की पुनर्संरचना सहित राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार बाजार विरूपताओं को समाप्त करके प्रभावहीन जीवाश्म ईंधन राज सहायता, जो फालतू खपत को बढ़ावा देती है, को युक्तिसंगत बनाना और विकासशील देशों की विशिष्ट आवश्यकताओं तथा स्थितियों का

पूरा ध्यान रखते हुए नुकसानदेह राज सहायता जहाँ मौजूद है उन्हें चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना ताकि उनका पर्यावरणिक प्रभाव दिखाई दे और उनके विकास पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभावों को इस प्रकार कम करना कि गरीबों और प्रभावित समुदायों के हितों की रक्षा हो सके।

13

जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए तात्कालिक कार्रवाई करना।*

** यह स्वीकार करते हुए कि संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCC) जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक प्रतिक्रिया और बातचीत के लिए प्राथमिक अंतरराष्ट्रीय और अंतरसरकारी मंच है।*

13.1 सभी देशों में जलवायु संबंधी जोखिमों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की क्षमता तथा उसके अनुकूल बनने की क्षमता को मज़बूत करना।

13.2 राष्ट्रीय नीतियों, कार्यनीतियों और आयोजना में जलवायु परिवर्तन को एकीकृत करना।

13.3 जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, अनुकूलन, प्रभाव उपशमन तथा शीघ्र चेतावनी संबंधी शिक्षा, जागरूकता वृद्धि और मानवीय तथा सांस्थानिक क्षमता को बढ़ाना।

13.क सार्थक न्यूनीकरण कार्रवाई तथा कार्यान्वयन में पारदर्शिता के परिप्रेक्ष्य में तथा अपनी कैपिटलाइजेशन के माध्यम से हरित जलवायु निधि को यथाशीघ्र पूर्णतः प्रचालित करने हेतु विकासशील देशों की ज़रूरतों के समाधान के लिए सभी स्रोतों से २०२० तक वार्षिक रूप से १०० अरब डॉलर जुटाने के लक्ष्य के प्रति विकसित देशों के पक्षों द्वारा जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में किए गए वायदों का कार्यान्वयन।

13.ख सबसे कम विकसित देशों में ई-प्रभावी जलवायु परिवर्तन संबंधी आयोजना तथा प्रबंधन हेतु क्षमता वृद्धि के लिए उपायों को बढ़ावा देना जिसमें महिलाओं, युवाओं, स्थानीय तथा वंचित समुदायों पर विशेष बल दिया जाना शामिल है।

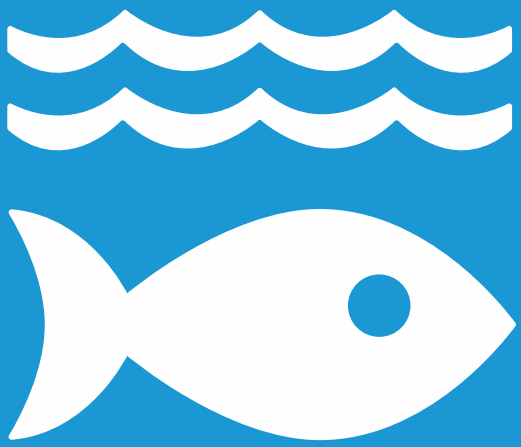

14

सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्रीय संसाधनों का संरक्षण करना और इनका संधारणीय तरीके से उपयोग करना।

14.1 २०२५ तक, हर प्रकार के सामुद्रिक प्रदूषण को और ख़ासकर ज़मीनी क्रियाकलापों को रोकना और उनमें ख़ासी कमी लाना जिनमें सामुद्रिक मलबा और पोषक प्रदूषण शामिल हैं।

14.2 २०२० तक,सामुद्रिक तथा तटीय पारितंत्रों का संधारणीय प्रबंधन तथा संरक्षण जिसमें उनकी शक्ति को सुदृढ़ करना तथा सागरों को स्वास्थ्यकर और उत्पादक बनाने के लिए कार्रवाई करना शामिल है ताकि बड़े दुष्प्रभाव को रोका जा सके।

14.3 सागरीय अम्लीकरण के प्रभाव को कम करना तथा उसका समाधान करना जिसमें सभी स्तरों पर संवर्धित वैज्ञानिक सहयोग शामिल है।

14.4 २०२० तक, हार्वेस्टिंग को विनियमित करना और अधिक मछली पकड़ने, अवैध, असूचित तथा अवनियिमित मात्स्यिकी तथा घातक मात्स्यिकी कार्यशैलियों को समाप्त करना और विज्ञान-आधारित प्रबंधन योजनाओं का कार्यान्वयन करना ताकि लघुतम संभाव्य समय में मछलियों का भंडार तैयार किया जा सके, कम से कम उन स्तरों पर जिनसे उनकी जैविक प्रकृति के अनुरूप अधिकतम उत्पाद प्राप्त किया जा सके।

14.5 २०२० तक, तटीय तथा सामुद्रिक क्षेत्र का न्यूनतम १० प्रतिशत संरक्षित करना जो राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार हो तथा सर्वोत्तम उपलब्ध वैज्ञानिक सूचना पर आधारित हो।

14.6 २०२० तक, कतिपय प्रकार की मात्स्यिकी सब्सिडियों का निषेध करना जिनसे क्षमता से अधिक उपलब्धता हो जाती है तथा एक सीमा से अधिक मछलियां पकड़ी जाती हैं, ऐसी सब्सिडियों को समाप्त करना जिनसे अवैध, अज्ञात तथा अविनियमित मात्स्यिकी होती है तथा ऐसी नई सब्सिडियों की शुरुआत करने से बचना और यह स्वीकार करना कि विकासशील और सबसे कम विकसित देशों के साथ समुचित व प्रभावी विशेष तथा भेदभावकारी व्यवहार विश्व व्यापार संगठन मात्स्यिकी सब्सिडी समझौते का अभिन्न अंग होना चाहिए**

14.7 २०३० तक,आर्थिक लाभों को सामुद्रिक संसाधनों के संधारणीय उपयोग से,मात्स्यिकी, जलीय कृषि तथा पर्यटन के संधारणीय प्रबंधन के माध्यम से छोटे द्वीपों वाले विकासशील राज्यों और सबसे कम विकसित देशों तक ले जाना

14.क विशेष रूप से लघु द्वीपसमूह वाले विकासशील राज्यों और कम विकसित देशों में विकासशील देशों के विकास हेतु समुद्री स्वास्थ्य में सुधार करने तथा समुद्री जैवविविधता के योगदान को बढ़ाने के लिए अंतर्शासकीय समुद्र-विज्ञान आयोग के मानदंडों और समुद्री प्रौद्योगिकी के अंतरण संबंधी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक ज्ञान में वृद्धि करना, अनुसंधान क्षमता बढ़ाना और समुद्री प्रौद्योगिकी का अंतरण करना।

14.ख छोटे पारस्परिक मछुआरों के लिए समुद्री सेवाएं और बाजार सुलभ कराना।

14.ग इसके अतिरिक्त, जहां लागू हो, वहां राज्य पक्षों द्वारा अपने पक्षों के लिए महासागरों और संसाधनों के संरक्षण तथा संधारणीय उपयोग हेतु मौजूदा क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सहित संयुक्त राष्ट्र संघ के समुद्री कानून संबंधी सम्मेलन में यथाउल्लिखित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

*** विश्व व्यापार संगठन की वार्ता, दोहा विकास एजेंडा और हांगकांग मंत्रिस्तरीय जनादेश को संज्ञान में लेते हुए।*

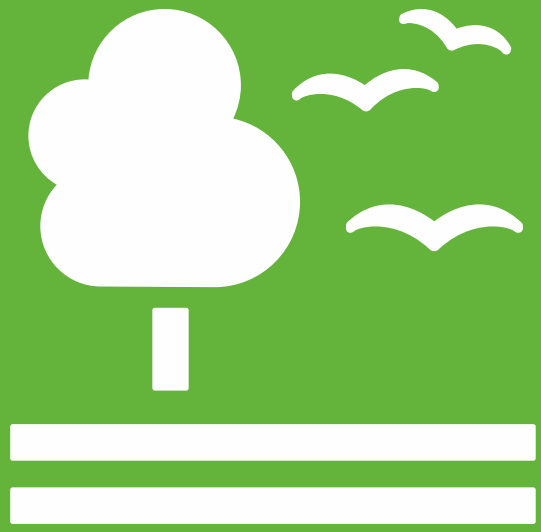

15

स्थलीय पारिस्थिकी-तंत्रों का संरक्षण और पुनरुद्धार करना और इनके सतत उपयोग को बढ़ावा देना, वनों का सतत तरीके से प्रबंधन करना, मरुस्थल-रोधी उपाय करना, भूमि अवक्रमण को रोकना और प्रतिवर्तित करना और जैव-विविधता की हानि को रोकना।

15.1 २०२० तक अंतर्राष्ट्रीय करारों के तहत दायित्वों की तर्ज पर कतिपय वनों, आर्द्र प्रदेश, पर्वतों और शुष्क भूमि में भौमिक तथा अंतर्देशीय मीठे जल एवं पारितंत्र तथा उसकी सेवाओं का संरक्षण, पुनरुद्धार और संधारणीय उपयोग सुनिश्चित करना।

15.2 २०२० तक सभी प्रकार के वनों के संधारणीय प्रबंधन के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना, वनोन्मूलन को रोकना, अवक्रमित वनों का पुनर्निर्माण करना और वनीकरण में वृद्धि करना तथा वैश्विक रूप से पुनःवनीकरण करना।

15.3 २०२० तक मरुस्थलीकरण को रोकना, मरूस्थलीकरण, सूखा और बाढ़ से प्रभावित भूमि सहित अवक्रमित भूमि तथा मृदा का पुनरुद्धार करना और भूमि-अवक्रमण-निष्पक्ष विश्व को हासिल करने के लिए प्रयास करना।

15.4 २०३० तक पर्वतीय पारितंत्र से लाभ प्राप्त करने हेतु उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए जो कि संधारणीय विकास हेतु अत्यावश्यक हो, उनकी जैवविविधता सहित संरक्षण सुनिश्चित करना।

15.5 प्राकृतिक पर्यावासों के अवक्रमण को कम करने के लिए तात्कालिक और सार्थक कार्य करना, जैवविविधता की क्षति को रोकना और २०२० तक संकटग्रस्त प्रजातियों के विलुप्त होने को रोकना।

15.6 आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों का निष्पक्ष और न्यायसंगत साझेदारी सुनिश्चित करना और ऐसे संसाधनों की समुचित उपलब्धता बढ़ाना।

15.7 वनस्पति और जीवों की संरक्षित प्रजातियों के अवैध शिकार तथा अवैध तौर पर बेचने की प्रक्रिया को रोकने के लिए तात्कालिक उपाय करना और अवैध वन्यजीव उत्पादों की मांग और आपूर्ति दोनों को पूरा करना।

15.8 २०२० तक थल और जल पारितंत्रों पर आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रवेश को रोकने तथा उनके प्रभाव को व्यापक स्तर पर कम करने के लिए उपाय करना और प्राथमिकता प्राप्त प्रजातियों पर नियंत्रण रखना तथा उन्मूलन करना।

15.9 २०२० तक राष्ट्रीय और स्थानीय आयोजना, विकास प्रक्रियाओं, गरीबी को कम करने संबंधी कार्यनीतियों और लेखाओं में पारितंत्र तथा जैवविविधता संबंधी मान का एकीकरण करना।

15.क जैवविविधता और पारितंत्रों के संरक्षण तथा संधारणीय उपयोग के लिए सभी स्रोतों से वित्तीय संसाधन जुटाना और उसमें व्यापक वृद्धि करना।

15.ख संधारणीय वन प्रबंधन के वित्तपोषण हेतु सभी स्रोतों से एवं सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण संसाधन जुटाना और संरक्षण तथा पुनःवनीकरण

के लिए ऐसे प्रबंधन के उन्नयन हेतु विकासशील देशों को पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करना।

15.ग संधारणीय आजीविका अवसरों का पता लगाने के लिए स्थानीय समुदायों की क्षमता बढ़ाकर संरक्षित प्रजातियों के अवैध शिकार तथा अवैध तौर पर बेचने की प्रक्रिया को रोकने हेतु प्रयास करने के लिए वैश्विक समर्थन बढ़ाना।

16

सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी सोसाइटियों को बढ़ावा देना, सभी को न्याय उपलब्ध कराना तथा सभी स्तरों पर कारगर, जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना।

16.1 हर जगह हिंसा और संबंधित सभी प्रकार की मृत्यु दरों में व्यापक कमी करना।

16.2 बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, उनके शोषण, अवैध तौर पर बेचने की प्रक्रिया तथा सभी प्रकार की हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करना।

16.3 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर कानूनी नियम को बढ़ावा देना और सभी के लिए एक समान न्याय सुनिश्चित करना।

16.4 २०३० तक अवैध वित्तीय और हथियार के व्यापार में व्यापक कमी करना, चोरी की संपत्तियों की बरामदगी तथा वापसी और सभी प्रकार के संगठित अपराधों से निपटना।

16.5 सभी प्रकार के भ्रष्टाचार और रिश्वत में व्यापक कमी करना।

16.6 सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह तथा पारदर्शी संस्थाओं का विकास करना।

16.7 सभी स्तरों पर अनुक्रियाशील, समावेशी, सहभागी और प्रतिनिधिक निर्णय लेना सुनिश्चित करना।

16.8 वैश्विक शासन वाली संस्थाओं में विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें सुदृढ़ करना।

16.9 २०३० तक जन्म पंजीकरण सहित सभी के लिए वैधानिक पहचान उपलब्ध कराना।

16.10 जनसूचना उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा राष्ट्रीय विधान और अंतर्राष्ट्रीय करारों के अनुसार मौलिक स्वतंत्रता का संरक्षण करना।

16.क विशेष रूप से विकासशील देशों में हिंसा रोकने और आतंकवाद तथा अपराध से निपटने के लिए सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से संबंधित राष्ट्रीय संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण करना।

16.ख संधारणीय विकास हेतु भेदभावरहित कानूनों और नीतियों का प्रवर्तन और संवर्धन करना।

17

कार्यान्वयन के उपायों का सुदृढ़ीकरण करना और सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी का पुनरुद्धार करना।

वित्त

17.1 कर और अन्य राजस्व संग्रहण हेतु घरेलू क्षमता में सुधार करने के लिए विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय सहायता देकर घरेलू संसाधन जुटाने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना।

17.2 विकसित देशों को विकासशील देशों हेतु आधिकारिक विकास सहायता में ०.७ प्रतिशत सकल राष्ट्रीय आय प्रदान करने के लिए अपनी आधिकारिक विकास सहायता प्रतिबद्धताओं का पूर्णतः कार्यान्वयन करना होगा जिसमें से ०.१५ से ०.२० प्रतिशत कम विकसित देशों को प्रदान किया जाना चाहिए।

17.3 विकासशील देशों के लिए विविध स्रोतों से अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाना।

17.4 यथोचित ऋण वित्तपोषण को प्रोत्साहित करने, ऋण राहत, ऋण पुनर्संरचना में लक्षित समन्वित नीतियों के माध्यम से दीर्घकालीन ऋण संधारणीयता को हासिल करने में विकासशील देशों की सहायता करना तथा अत्यधिक ऋणग्रस्त गरीब देशों पर ऋण के दबाव को कम करने के लिए उनके विदेशी ऋणों का समाधान करना।

17.5 कम विकसित देशों के लिए निवेश संवर्धन व्यवस्था को अपनाना और कार्यान्वित करना।

प्रौद्योगिकी

17.6 उत्तर-दक्षिण, दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय क्षेत्रीय एवं अतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवप्रवर्तन की उपलब्धता बढ़ाना।

17.7 पारस्परिक सहमति के अनुसार, रियायती और अधिमान्य शर्तों सहित अनुकूल शर्तों पर विकासशील देशों के लिए पर्यावरणीय रूप से विश्वस्त प्रौद्योगिकियों के विकास, अंतरण, प्रचार और प्रसार को बढ़ावा देना।

17.8 २०१७ तक कम विकसित देशों के लिए प्रौद्योगिकी बैंक और विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवप्रवर्तन क्षमता निर्माण तंत्र को पूर्णतः प्रचालित करना और विशेष रूप से प्रौद्योगिकी तथा संचार प्रौद्योगिकी में समर्थकारी प्रौद्योगिकी के उपयोग में वृद्धि करना।

क्षमता निर्माण

17.9 उत्तर-दक्षिण, दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग के माध्यम से सभी संधारणीय विकास लक्ष्यों को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय आयोजनाओं को समर्थित करने के लिए विकासशील देशों में प्रभावी और लक्षित क्षमता निर्माण को कार्यान्वित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहायता में वृद्धि करना।

व्यवसाय

17.10 इसके दोहा विकास एजेंडा के तहत बातचीत के समापन के माध्यम से विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत सर्वव्यापक, नियम आधारित, खुली, भेदभावरहित और न्यायसंगत बहुपक्षीय व्यवसाय प्रणाली को बढ़ावा देना।

17.11 २०२० तक विशेष रूप से कम विकसित देशों के वैश्विक निर्यात के हिस्से को दोगुना करने की दृष्टि से विकासशील देशों के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि करना।

17.12 यह सुनिश्चित करते हुए कि कम विकसित देशों से आयात के लिए लागू उत्पत्ति के अधिमान्य नियम पारदर्शी और सरल हों और सुसाध्य बाजार उपलब्धता में योगदान दें, विश्व व्यापार संगठन के निर्णयों के अनुरूप सभी कम विकसित देशों के लिए दीर्घकालिक आधार पर शुल्क-मुक्त और कोटा-मुक्त बाजार उपलब्धता का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

नीतिगत और संस्थागत सामंजस्य

17.13 नीतिगत समन्वय और नीतिगत सामंजस्य के माध्यम से वैश्विक वृहत आर्थिक स्थायित्व में वृद्धि करना।

17.14 संधारणीय विकास के लिए नीतिगत सामंजस्य बढ़ाना।

17.15 गरीबी उन्मूलन और संधारणीय विकास हेतु नीतियां तैयार करने तथा कार्यान्वित करने के लिए प्रत्येक देश की नीतिगत गुंजाइश और नेतृत्व का आदर करना।

बहु-पणधारक साझेदारी

17.16 बहु-पणधारक साझेदारी द्वारा पूरित संधारणीय विकास हेतु वैश्विक साझेदारी बढ़ाना ताकि विशेष रूप से विकासशील देशों में सभी देशों में संधारणीय विकास लक्ष्यों की उपलब्धि में सहायता देने के लिए ज्ञान, विशेषज्ञता, प्रौद्योगिकीय और वित्तीय संसाधन जुटाए जा सकें तथा उसे साझा किया जा सके।

17.17 साझेदारियों के अनुभव और संसाधन संबंधी कार्यनीतियों से लाभ उठाते हुए प्रभावी सार्वजनिक, सार्वजनिक-निजी तथा सिविल सोसाइटी भागीदारियों को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना।

डेटा, अनुवीक्षण और जवाबदेही

17.18 २०२० तक आय, लिंग, उम्र, जाति, मानवजातीय, प्रवासी दर्जा, निःशक्तता, भौगोलिक स्थिति और राष्ट्रीय संदर्भों में प्रासंगिक अन्य विशेषताओं की दृष्टि से पृथक-पृथक उच्च गुणवत्तायुक्त, समयबद्ध

और विश्वसनीय डेटा में पर्याप्त बढ़ोतरी करने के लिए कम विकसित देशों तथा छोटे द्वीप वाले विकासशील राज्यों सहित विकासशील राज्यों हेतु क्षमता निर्माण सहायता में वृद्धि करना।

17.19 विकासशील देशों में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देने और सांख्यिकीय क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान करने हेतु संधारणीय विकास संबंधी प्रगति के पैमाने को बढ़ाने के लिए २०३० तक मौजूदा पहलों का सुदृढ़ीकरण करना।

Notes

Office of the Resident Coordinator of India
55 Lodhi Estate, P.O. Box 3059, New Delhi - 110003, India
Tel: +91-11-46532333, Fax: +91-11-24627612
Email: unrco.in@one.un.org

Visit: in.one.un.org | Like: UnitedNationsIndia | Follow: @UNinIndia

UN INDIA